http://shasanadesh.up.nic.in

<u>संख्या-10/2018/165/दो-2-2018-28/2(1)/2017</u>

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनऊ।

नियुक्ति अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018**

विषय:- श्रीमती निशा गोयल, से0नि0, पी0सी0एस0-1982 के पेंशन, राशिकरण, उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्रीमती निशा गोयल, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती निशा गोयल के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अत: इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूचना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक:-यथोक्त ।</u>

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

[redacted] प्रतिलिपि श्रीमती निशा गोयल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-के0सी0-166, कवि नगर, कलेक्टेट के सामने, गाजियाबाद-201002 सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-10/2018/394/दो-2-2018-28/2(1)/2017
लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

श्रीमती निशा गोयल, पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 31-12-2017 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त सचिव, इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),उत्तर प्रदेश शासन।
2- श्रीमती निशा गोयल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-के0सी0-166, कवि नगर, कलेक्टेट के सामने, गाजियाबाद-201002 ।

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-10/2018/395 /दो-2-2018-28/2(1)/2017
लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

आदेश

श्रीमती निशा गोयल, से0नि0, पी0सी0एस0-2006 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-62703 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्रीमती निशा गोयल, पी0सी0एस0 के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-27/मिलान डायरी-56/635 दिनांक 10-07-2015, जिसमें वर्ष 2013 तक कुल जमा धनराशि रू0-76,94,827/- (रू0-छिहत्तर लाख चौरान्नबे हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र) की 90 प्रतिशत धनराशि रू0-69,25,344/- (रूपये उनहत्तर लाख पच्चीस हजार तीन सौ चौवालिस मात्र), के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे है।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्रीमती निशा गोयल के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, अलीगढ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्रीमती निशा गोयल, पी0सी0एस0, तत्कालीन उपाध्यक्ष, अलीगढ विकास प्राधिकरण, अलीगढ के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, अलीगढ।
4- श्रीमती निशा गोयल, से0नि0 पी0सी0एस0 पता-के0सी0-166, कवि नगर, कलेक्टेट के सामने, गाजियाबाद-201002

आज्ञा से,

(धनन्जय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in